

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 286002

पटना, दिनांक 26/9/16

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(लक्ष्य नि0)-115-05/2016

प्रेषक,

विनोद कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्राप्त SECC के गृह विहीन परिवारों की सूची का भौतिक सत्यापन के पश्चात कोटिवार लाभुकों की संख्या उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि विभागीय पत्रांक-282122 दिनांक-19.08.16 से प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत SECC के गृह विहीन परिवारों की सूची का भौतिक सत्यापन के पश्चात कोटिवार लाभुकों की संख्या की मांग की गई थी । इसमें भारत सरकार के स्तर से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को एक सम्मिलित रूप से संख्या की मांग की गई थी, किन्तु वर्तमान में इन दोनों वर्गों की संख्या पृथक रूप से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है ।

विदित है कि सभी जिलों को कोटिवार लक्ष्य के निर्धारण के लिए SECC की सूची के सत्यापन के बाद पात्र परिवारों की संख्या आवश्यक है । यह आँकड़ा उपलब्ध नहीं होने के कारण जिलावार कोटिवार लक्ष्य का निर्धारण विभाग स्तर से करने में कठिनाई है ।

अतः अनुरोध है कि SECC की सूची के मिलान एवं सत्यापन तथा ग्राम सभा के पश्चात पात्र पाये गये परिवारों का कोटिवार विवरण निम्न प्रपत्र में अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

जिला का नाम :-

प्रखण्ड	पंचायतों की सं०	पंचायतों की संख्या जहाँ ग्राम सभाएँ आयोजित की गई हैं	ग्राम सभा के उपरांत प्राथमिकता निर्धारित किये गये लाभुकों की सं०					अभ्युक्ति
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	अल्प संख्यक	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विश्वासभाजन


(विनोद कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी